

राजस्थान सरकार
कृषि विभाग
[५-२]

सं. संक. 111 डी. ओ. पी. / ५-२/८४

जयपुर, दिनांक 28 अक्टूबर, 1994

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु दारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, 1963 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची "ब" में :-

ii) शीर्षक "वन्य जन्तु संरक्षण और वन्यजन्तु संरक्षण अनुभाग के कनिष्ठ ग्रेड-1 के बाद "और शीर्षक "वन्यजन्तु संरक्षण और जानुवृक्षी अनुभाग के ग्रेड-1 के बाद" के अधीन क्रम संख्या 1 के तामने स्तम्भ 3 में उल्लिखित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"कई 1989-90 तक 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा और तत्पश्चात् 75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा और 25 प्रतिशत तीथी मती द्वारा" ।

iii) शीर्षक "वन्य जन्तु संरक्षण और जानुवृक्षी अनुभाग के कनिष्ठ ग्रेड-1 के बाद" के अधीन क्रम सं. 2 के तामने स्तम्भ 3 में उल्लिखित विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 25, प्रतिशत तीथी मती द्वारा ।"

iiii) शीर्षक "वन्य जन्तु संरक्षण और जानुवृक्षी अनुभाग के कनिष्ठ ग्रेड-1 के बाद" और शीर्षक "सुर्गिषालन अनुभाग के कनिष्ठ ग्रेड-1 के बाद" के अधीन क्रम सं. 3 के तामने स्तम्भ 3 में उल्लिखित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा" ।

राजस्थान के उपदेश और नाम से,

1 ए०के०वाण्डे
राजस्थान सरकार

35/94